

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**

RAJYA SABHA

**STARRED QUESTION NO. 167
TO BE ANSWERED ON 10.03.2021**

IMPLEMENTATION OF PM-SYM YOJANA

167. SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA:

Will the Minister of Labour and Employment be pleased to state:

- (a) the status of implementation of the Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan (PM-SYM) Yojana;**
- (b) the number of people currently enrolled in the scheme, State-wise; and**
- (c) the details of institutions tasked with the management of the funds?**

ANSWER

**MINISTER OF STATE (IC) FOR LABOUR AND EMPLOYMENT
(SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR)**

(a) to (c): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PART (a) TO (c) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 167 FOR 10.03.2021 RAISED BY SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA REGARDING IMPLEMENTATION OF PM-SYM YOJANA.

(a) to (c): In order to provide old age protection to unorganised sector workers, in March, 2019, the Government of India has launched a flagship scheme namely Pradhan Mantri Shram Yogi Man Dhan Yojana (PM-SYM) to provide monthly minimum assured pension of Rs.3000/- after attaining the age of 60 years. This is a voluntary and contributory pension scheme. The workers in the age group of 18-40 years whose monthly income is Rs.15000/- or less and not a member of EPFO/ESIC/NPS can join the scheme. Under the scheme, 50% monthly contribution is payable by the beneficiary and equal matching contribution is paid by the Central Government. Enrolment to the Scheme is done through the Common Service Centres. In addition eligible persons can also self-enroll through visiting the portal www.maandhan.in. As on 04.03.2021, over 44.90 lakhs workers have been enrolled/registered under the scheme. The state-wise details of number of enrolment under the PM-SYM scheme is at Annexure. Life Insurance Corporation of India (LIC) is the Pension Fund Manager and shall be responsible for pension pay-out.

Annexure

ANNEXURE REFERED TO IN REPLY TO PART (a) TO (c) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO. 167 FOR 10.03.2021 REGARDING IMPLEMENTATION OF PM-SYM YOJANA RAISED BY SHRI KAMAKHYA PRASAD TASA.

Sl. No.	State/UT	Individual enrolments	Bulk enrolments
1	Haryana	802517	92157
2	Uttar Pradesh	618125	224155
3	Maharashtra	587940	10154
4	Gujarat	368539	
5	Chhattisgarh	208263	
6	Bihar	193132	
7	Odisha	163641	
8	Andhra Pradesh	150718	
9	Jharkhand	129188	
10	Madhya Pradesh	123999	
11	Rajasthan	102233	179305
12	Karnataka	98691	
13	West Bengal	74070	
14	Jammu and Kashmir	72198	
15	Tamil Nadu	56731	
16	Himachal Pradesh	41646	
17	Uttarakhand	34484	
18	Punjab	33076	
19	Telangana	31668	
20	Tripura	28717	
21	Assam	21312	
22	Kerala	10417	
23	Delhi	8002	
24	Nagaland	4701	
25	Chandigarh	3926	832
26	Manipur	3866	
27	Meghalaya	2872	
28	Arunachal Pradesh	2474	
29	Andaman and Nicobar Islands	2123	
30	Puducherry	1249	
31	Goa	971	
32	Daman and Diu	804	
33	Dadra and Nagar Haveli	759	
34	Mizoram	606	
35	Sikkim	122	
36	Lakshadweep	21	
Total		3983801	506603
		Grand Total	4490404

भारत सरकार
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 167

बुधवार, 10 मार्च, 2021/19 फाल्गुन, 1942 (शक)

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना का कार्यान्वयन

*167. श्री कामाख्या प्रसाद तासा:

क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) योजना में फिलहाल नामांकित लोगों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और
- (ग) किन-किन संस्थाओं को उक्त निधि के प्रबंधन का कार्य सौंपा गया है?

उत्तर

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

**

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना का कार्यान्वयन के संबंध में श्री कामाख्या प्रसाद तासा द्वारा पूछे गए दिनांक 10 मार्च, 2021 के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 167 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) से (ग): असंगठित क्षेत्र के कामगारों को वृद्धावस्था संरक्षण देने के लिए भारत सरकार ने 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेने के बाद 3000/-रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए मार्च, 2019 में एक प्रमुख स्कीम नामतः प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) आरम्भ की गई है। यह एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है। 18-40 वर्ष समूह के कामगार जिनकी मासिक आय 15000/-रुपये या कम है और ईपीएफओ /ईएसआईसी/एनपीएस के सदस्य नहीं हैं वे इस स्कीम में शामिल हो सकते हैं। इस स्कीम के अंतर्गत 50 प्रतिशत मासिक अंशदान का भुगतान लाभार्थी द्वारा और इसके समनुरूप अंशदान का भुगतान केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। इस स्कीम में नामांकन, कॉमन सेवा केन्द्रों के माध्यम से किया जाता है। इसके अलावा पात्र व्यक्ति पोर्टल www.maandhan.in पर जाकर भी स्वयं अपना नामांकन कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत 04.03.2021 तक 44.90 लाख से अधिक कामगारों का नामांकन/पंजीकरण किया जा चुका है। पीएम-एसवाईएम योजना के अंतर्गत नामांकनों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) पेंशन निधि के प्रबंधक हैं और वह पेंशन भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना का कार्यान्वयन के संबंध में श्री कामाख्या प्रसाद तासा द्वारा पूछे गए दिनांक 10.03.2021 के लिए नियत राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 167 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्ति नामांकन	सामूहिक नामांकन
1	हरियाणा	802517	92157
2	उत्तर प्रदेश	618125	224155
3	महाराष्ट्र	587940	10154
4	गुजरात	368539	
5	छत्तीसगढ़	208263	
6	बिहार	193132	
7	ओडिशा	163641	
8	आंध्र प्रदेश	150718	
9	झारखंड	129188	
10	मध्य प्रदेश	123999	
11	राजस्थान	102233	179305
12	कर्नाटक	98691	
13	पश्चिम बंगाल	74070	
14	जम्मू एवं कश्मीर	72198	
15	तमिलनाडू	56731	
16	हिमाचल प्रदेश	41646	
17	उत्तराखंड	34484	
18	पंजाब	33076	
19	तेलंगाना	31668	
20	त्रिपुरा	28717	
21	असम	21312	
22	केरल	10417	
23	दिल्ली	8002	
24	नागालैंड	4701	
25	चंडीगढ़	3926	832
26	मणिपुर	3866	
27	मेघालय	2872	
28	अरुणाचल प्रदेश	2474	
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2123	
30	पांडिचेरी	1249	
31	गोवा	971	
32	दमन एवं दीव	804	
33	दादरा एवं नागर हवेली	759	
34	मिजोरम	606	
35	सिक्किम	122	
36	लक्षद्वीप	21	
कुल		3983801	506603
		कुल योग	4490404